न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **56 / 2023 अपील सू.प्र.**

उनवान

सम्पतलाल सुथार पुत्र नारायण लाल निवासी ग्राम बगता का खेडा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ––अपीलार्थी	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 19-12-2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 04.09.2023 को ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया को ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर दर्ज किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 866 दिनांक 06.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना तैयार कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के पत्र क्रमांक 863 दिनांक 05.10.2023 से अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावें।

आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा